न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
संशोधित निर्णय	बिहारीलाल V/s नानूराम वगै० मु०नं० 4/2017	

02/08/2021

वकील वादीगण द्वारा प्रा०पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली फैसल रिकॉर्ड से तलब की जाकर आज पेश हुई। वकील वादीगण ने प्रा०पत्र U/S 151 CPC पेश कर निवेदन किया कि अनुवानी प्रकरण का निर्णय व अन्तिम डिक्री मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 16/12/2019 को हो चुका है परन्तु उनवानी प्रकरण के विभाजन प्रस्ताव की मद सं० 2 में ख०नं० 669 के मिन नंबर 669/2 के बजाय तहसीलदार महोदय की लिपिकीय त्रुटी से 691/2 लिखा गया जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि की खतौनी जमाबंदी व उनवानी प्रकरण में ख०नं० 691 का कोई उल्लेख ही दर्ज नही है। अतः उनवानी प्रकरण के विभाजन प्रस्ताव की मद नं. 2 में दर्ज 691/2 के बजाय ख०नं० 669/2 संशोधित करके तदनुसार निर्णय व डिक्री में न्यायोचित व आवश्यक संशोधन करते हुए तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिकारी (सीकर)

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 16/12/2019 एवं प्रा०पत्र U/S 151 CPC का अवलोकन किया गया जिससे वकील वादीगण का

प्रा० पत्र U/s 151 CPC स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर विस्तृत विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 16/12/2019 की मद नं. 2 में दर्ज ख० नं० 69/2 के स्थान पर ख० नं० 669/2 दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली पुन: फैसल रिकॉर्ड में शुमार हो। यह निर्णय आज दिनांक 02/08/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर एवं न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार) RAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) सत्यमेव जयते